बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 173304 पटना, दिनांक- 6-1-2014

ग्रा0 वि05/ सा0आ0ज0(प्रारूप प्रका0)-103-09 /2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-
मुख्य SECC पदाधिकारी,
बिहार ।

विषय :- **सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 के अन्तर्गत प्राप्त दावा/ आपत्तियों के समयबद्ध निष्पादन एवं अंतिम सूची के प्रकाशन के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 अन्तर्गत प्रारूप प्रकाशन, समय सीमा के अंदर प्राप्त दावा/आपत्तियों का निष्पादन एवं अंतिम सूची का प्रकाशन का कार्य निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस कार्य को समय सीमा के अन्दर पूर्ण कराया जाय । इसके लिए आवश्यक है कि COTS के अंतर्गत प्राप्त दावा।आपत्तियों की गहन समीक्षा प्रतिदिन करते हुये इस कार्य को युद्धस्तर पर निर्धारित समयावधि के अंदर पूर्ण कराया जाय ।

2. विदित हो कि ECIL के द्वारा COTS के कार्यान्वयन हेतु तकनिकी बल उपलब्ध कराया जाना है, परन्तु कुछ जिलों द्वारा विभाग के संज्ञान में यह बात लाई गई है कि ECIL के द्वारा पर्याप्त संख्या में तकनीकी बल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जिसके कारण COTS का डाटा अपलोडिंग एवं उसके ससमय निष्पादन में कठिनाई हो रही है ।

इस संबंध में गहन समीक्षोपरान्त कहना है कि COTS को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने हेतु ECIL के द्वारा उपलब्ध कराये गये तकनिकी बल के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार जिले में उपलब्ध आवास सॉफ्ट सहायक, प्रिया सॉफ्ट सहायक एवं कार्यपालक सहायक की सेवा ली जा सकती है एवं अतिरिक्त रखे गये कार्यपालक सहायकों के पारिश्रमिक भुगतान हेतु राशि की मॉग उनके द्वारा किये गये कार्य (डाटा इन्ट्री) के आधार पर विभाग से की जा सकती है । अतिरिक्त रूप से रखे गये इन कर्मियों का विवरण निम्न प्रपत्र में संधरित करें ।

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	SECC में कार्य करने की अवधि	किये गये काम का सार	कार्य पर व्यय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7

अनुरोध है कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में SECC अंतर्गत COTS के लंबित कार्यो को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण कराने की कार्रवाई की जाए ।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 6.1.14

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 173304 दिनांक 6.1.2014

प्रतिलिपि:- सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 6.1.14

प्रधान सचिव